श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2016 को संपन्न अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 08.12.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रभारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे।

2. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित)</u> :–

2.1 पिछली बैठक में पटना शहरी क्षेत्रांतर्गत अवस्थित पथों के सौंदर्यीकरण के संबंध में कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी पथ प्रमंडल द्वारा बताया गया था कि पथ निर्माण विभाग द्वारा इस हेतु डी०पी०आर० बनाकर स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दी गयी है तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा कंकड़बाग रोड, गायत्री मंदिर रोड, अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारो ओर रोड बाइडेलिंग कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसमें अशोक राजपथ एवं गाँधी मैदान के चारो ओर रोड बाइडेलिंग कार्य की निविदा प्रकाशित कर दी गयी है।

2.2 शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथांसों में पथों की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाईट, डिवाईडर, ग्रीन बेल्ट, साईकिलिंग ट्रैक, पार्किंग आदि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा Urban Road Policy का प्रारूप तैयार करके पथ निर्माण विभाग को भेजी गयी है।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाय

2.3 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित डम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा है कि इस संबंध में शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाइ की जाय।

2.4 पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने के कारण गाँधी मैदान से दीदारगंज तक फ्लैंक, रोड एवं क्षतिग्रस्त नाला की मरम्मति कार्य की समीक्षा नहीं हो पायी।

2.5 गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के अवसर पर अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के पार्किंग हेतु जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा पूर्व से चिन्हित पार्किंग स्थल के पीछे लगभग 70 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है।

सचिव, पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि पार्किंग स्थल तक सम्पर्क पथ का निर्माण एवं स्थल के समतलीकरण का कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

<u>बैठक में पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण इसकी विस्तृत समीक्षा नहीं हो सकी</u>।

2.6 **<u>NHAI से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित)</u>** :–

(क) पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले के निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय।

पिछली बैठक में प्रतिवेदित हुआ था कि इसके निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है। सचिव, पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु NHAI से समन्वय करेंगे।

3. जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :–

3.1 नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके निकट ही मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। स्पष्टतः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 के निकट नाले के प्रवेश बिन्दु पर अतिक्रमण प्रतिवेदित हुई थी। पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि यदि सामुदायिक भवन या दुकान अतिक्रमण करके बनाया गया है तो अतिक्रमणवाद दायर करके, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय।

3.2 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में तथा अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठकों में बादशाही नाला, जो जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्ति है, के 17 स्थानों पर अतिक्रमण की बात आयी थी। पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

3.3 पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनबा नाले के अतिक्रमण के संबंध में पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया था कि उसमें अतिक्रमण नहीं है और पानी का बहाव ठीक है।

बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त बिन्दुओं की समीक्षा नहीं हो सकी।

4. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–

4.1 बैठक में उपस्थित ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि न्यू बाईपास में अधिष्ठापित 105 लाईटों में से 55 लाईटों का Maintanance कर दिया गया है, शेष 50 लाईटों का Maintanance 03 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा तथा कंकड़बाग अंचल में अधिष्ठापित 98 लाईटों में से 16 लाईटों का Maintanance कर दिया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि बाईपास में कार्य पूर्ण होने जाने के उपरांत कंकड़बाग अंचल के शेष लाईटों का Maintanance का कार्य 04 दिनों के अंदर प्रारंभ कर दिया जाएगा।

उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि मलाही पकड़ी क्षेत्र में ब्रेडा द्वारा अधिष्ठापित 80 लाईटों में से 46 लाईटों की मरम्मति हो गयी है, शेष की मरम्मति 6 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा। नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत अनीसाबाद क्षेत्र में 30 लाईटें खराब थी, जिसमें से 15 की मरम्मति कर ली गयी है एवं 02 लाईटों की मरम्मति आज हो जाएगी तथा शेष 13 लाईटों की मरम्मति भी 3 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा।

ब्रेडा के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि लाईटों के Maintanance हेतु एक सिस्टम विकसित की जाय ताकि कहीं भी लाईट खराब होने पर किसी भी नागरिक द्वारा सूचना देने पर तुरंत लाईटों की मरम्मति हो सके। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक महीने के अंदर यह सिस्टम अनिवार्य रूप से व्यवस्थित कर लिया जाएगा।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित) :–

5.1 दिनांक 01.12.2016 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित 106 जलापूर्ति योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण करके चालू स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार हस्तांतरण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त बिन्दुओं की समीक्षा नहीं हो सकी।

6. <u>बुडको से संबंधित मुद्दे (प्रतिनिधि अनुपस्थित)</u> :–

6.1 बुडको द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से Intelligent Traffic Management System एवं CCTV की व्यवस्था की गयी है। बुडको द्वारा पूर्व में 97 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाने की योजना के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ट्रॉफिक लाईट हेतु 65 स्थानों की सूची उपलब्ध कराये जाने के कारण 65 स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट की व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

यदि अन्य और स्थानों पर ट्रॉफिक लाईट लगाने की आवश्यकता हो तो प्रमंडलीय आयुक्त से स्थानों की सूची प्राप्त की जाय। **<u>इस संबंध में प्रबंध निदेशक, बुडको अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे</u>**।

महाप्रबंधक, बुडको द्वारा पिछली बैठक में प्रतिवेदित किया गया था कि CCTV का कार्य गृह विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है एवं इस हेतु बुडको द्वारा पूर्व में किये गये कार्य से संबंधित सभी Input बेल्ट्रॉन को उपलब्ध करा दिये गये हैं।

6.2 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाने हेतु बुडको को निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में पिछली बैठक में महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया था कि इसके लिए डी०पी०आर० बनाने हेतु कंसल्टेंट का चयन किया गया है।

पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि नमामि गंगे के अंतर्गत बनाये जा रहे डी०पी०आर० की जानकारी प्राप्त की जाय और उसके गाईडलाईन को भी देख लें ताकि गाईडलाईन के तहत कार्रवाई हो।

6.3 पिछली बैठक में प्रतिवेदित किया गया था कि रेलवे स्टेशन से मल्टीलेवल पार्किंग तक एलीवेटर लगाने की योजना के संबंध में बुडको तथा रेलवे के पदाधिकारी के साथ बैठक हो गयी है। अभी NOC प्राप्त नहीं हुई है। NOC प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

निर्देश दिया गया था कि रेलवे स्टेशन से मल्टीलेवल पार्किंग तक ट्रैफिक व्यवस्था हेतु जिला पदाधिकारी के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

6.4 पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain से संबंधित डी०पी०आर० बुडको द्वारा बनाये जा रहे हैं तथा सैदपुर नाला एवं सर्पेन्टाईन नाला का Feasibility Report बुडको द्वारा तैयार हो गया है।

पिछली बैठक में मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया था कि डी०पी०आर० बनाने के क्रम में नाले की Opening/सफाई के संबंध में भी योजना बना ली जाय एवं सभी 09 नालों का PFR तैयार किया जाय। विभिन्न Options को Explore करते हुए Pros and Cons, Work out किया जाय।

6.5 पिछली बैठक में निर्देश दिया गया था कि राज्य के सभी नगर निकायों के मुख्य Outfall drain एवं STP की सूची, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा एक सप्ताह के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6.6 श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं प्रकाशोत्सव के अवसर पर उपयोग हेतु मोबाईल टॉयलेट की आपूर्ति हेतु पटना नगर निगम द्वारा बुडको से अनुरोध किया गया है। नगर आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अभी तक मोबाईल टॉयलेट की आपूर्ति नहीं हो पायी है।

प्रबंध निदेशक, बुडको मोबाईल टॉयलेट की आपूर्ति ससमय अनिवार्य रूप से पटना नगर निगम को करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में बुडको के प्रतिनिधि के विलंब से आने के कारण उक्त बिन्दुओं की समीक्षा नहीं हो सकी, जिसके लिए चिंता व्यक्त की गयी एवं हिदायत दी गयी कि भविष्य में ससमय उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

7. **<u>बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे</u>** :-

7.1 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराये जा रहे जलापूर्ति कनेक्शन का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन विभाग को भेजा जाय।

7.2 यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य योजनांतर्गत स्थानीय निकायों जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का योजनावार उपयोगिता प्रमाण पत्र 02 दिनों के अंदर विभाग को अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाय।

7.3 मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित हुआ था कि नगर निगम एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजना मिलाकर नगर निगम क्षेत्र में शत-प्रतिशत जलापूर्ति आच्छादित हो रही है, लेकिन सभी घरों में कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

निर्देश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा शेष बची योजना को कार्यान्वित कराया जाय। इसे AMRUT योजना में आच्छादित किया जाय।

8. **<u>डूडा-1 एवं डूडा-2, पटना से संबंधित मुद्दे</u>** :-

8.1 डूडा-1 एवं डूडा-2 के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि वर्ष 2013-14 तक आवंटित की गयी राशि में से अवशेष बची राशि को जमा करा दी जाय तथा राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र 02 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8.2 जनता रोड, पटना में डूडा-1 द्वारा रोड का निर्माण कराया जा रहा है। मॉनसून के समय संवेदक द्वारा रोड का निर्माण कार्य शुरू करके तोड़कर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। निर्माण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया था, जिसमें कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु कड़ा निर्देश दिया गया था। बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि अभी तक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

मुख्य अभियंता, बुडा को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के उपरांत स्थल निरीक्षण किया जाय तथा यदि कार्य पूर्ण नहीं पाया जाता है तो कार्यपालक अभियंता, डूडा-1 के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया जाय।

9. **<u>पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे</u>** :-

9.1 मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना नगर निगम के कई ड्रेनेज एवं पम्पिंग स्टेशनों का रखरखाव बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस हेतु पटना नगर निगम द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

9.2 पटना शहरी क्षेत्र में अधिष्ठापित एल०ई०डी० लाईट की Centralised Controling एवं Monitoring के लिए सिस्टम अधिष्ठापित किया जाय ताकि लाईट खराब होने पर उसे तत्काल ठीक कराया जा सके।

9.3 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि प्रकाशोत्सव समारोह के अवसर पर गुरूद्वारा के निकट की गलियों में जगह-जगह पर पेयजल हेतु नल, पिआऊ तथा यूरिनल की व्यवस्था पर्याप्त आवश्यकतानुसार कर ली जाय।

9.4 पटना शहर में अधिकाँश सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है।

पिछली बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया था कि पटना नगर निगम की ओर 5 वर्ष के लिए बंदोबस्ती की जाएगी एवं इस हेतु प्रस्ताव को स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा है।

9.5 शहर में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित किया जाय। तदनुसार पटना नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुलवारी शरीफ/दानापुर एवं खगौल को कड़ी मेहनत एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

9.6 फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग स्थलों के प्रबंधन एवं इसके अन्य उपयोग हेतु नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करके नगर विकास एवं आवास विभाग को एक सप्ताह के अंदर भेजी जाय।

9.7 महावीर मंदिर, पटना जंक्शन से जी०पी०ओ० गोलम्बर एवं महावीर मंदिर से वीणा सिनेमा रोड में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अभियंता द्वारा पाईलिंग का कार्य किये जाने के दौरान पटना नगर निगम के भूमिगत नाले को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण सम्पूर्ण पटना जंक्शन क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति है।

इस संबंध में दिनांक 05.12.2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में भी वार्ता हुई थी।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वे इस हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम के मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता तथा अन्य संबंधित अभियंताओं का दल गठित करके समस्या निराकरण कराएंगे तथा नियमित रूप से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

9.8 निर्देश दिया गया कि अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग ससमय सुनिश्चित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

13/12/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9278 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/12/16
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9278 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/12/16
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9278 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/12/16
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक,

एन०बी०सी०सी०, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग तथा प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना से अनुरोध है कि बैठक में प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

3. सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्यवाही की प्रति NHAI, Patna को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

13/12/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 9278 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 13/12/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/12/2016

प्रधान सचिव